[2019] 1 एससीआर 991।

हिमांशु

बनाम

बी. शिवमूर्ति और अन्य

(2009 की आपराधिक अपील संख्या 1465)

17 जनवरी, 2019

[न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता]

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 - धारा 141 और धारा 138 के परंतुक - शिकायत की विचारणीयता - जब किसी कंपनी के निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा चेक तैयार किया गया था - अपीलकर्ता ने प्रतिवादी से एक राशि उधार ली और एक चेक जारी किया - जब चेक को नकदीकरण के लिए बैंक में प्रस्तुत किया गया था, तो इसे इस समर्थन के साथ लौटा दिया गया था कि धन अपर्याप्त था - प्रतिवादी ने अपीलकर्ता को नोटिस जारी किया - अपीलकर्ता द्वारा देय राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर। चेक के तहत, एक शिकायत दर्ज की गई थी - अपीलकर्ता ने शिकायत को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिका दायर की - अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि चेक कंपनी के निदेशकों में से एक द्वारा जारी किया गया था और यह किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में जारी किया गया चेक नहीं था - अपीलकर्ता की प्रस्तुति को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था और यह माना गया था कि कंपनी को आरोपी के रूप में आरोपित किया जा सकता है, और याचिका को खारिज कर दिया गया - अपील पर, कहा गया: इस मामले में, अदालत के समक्ष रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि चेक अपीलकर्ता द्वारा 'एल' कंपनी के लिए लिया गया था, इसके निदेशक के रूप में - मांग का नोटिस केवल अपीलकर्ता को दिया गया था - शिकायत केवल अपीलकर्ता के खिलाफ दर्ज की गई थी, कंपनी को आरोपी के रूप में आरोपित किए बिना - कंपनी को आरोपी के रूप में आरोपित किए बिना, इसलिए अपीलकर्ता के खिलाफ एक शिकायत सुनवाई योग्य नहीं थी - अपीलकर्ता ने कंपनी के निदेशक के रूप में और उसकी ओर से चेक पर हस्ताक्षर किए थे - इसके अलावा, कंपनी को मांग की सूचना के अभाव में और धारा 138 के परंतुक के अनुपालन के बिना, उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की कि कंपनी को अब आरोपी के रूप में आरोपित किया जा सकता है - उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज करने में गलती की। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 482। शिकायतकर्ता-प्रतिवादी ने अपीलकर्ता के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की। शिकायतकर्ता के अनुसार, अपीलकर्ता ने "अपने व्यवसाय के विकास के लिए" 4,15,000 रुपये की राशि उधार ली थी और उसी दिन, अपीलकर्ता ने इतनी ही राशि का चेक जारी किया। जब चेक को बैंक को नकदीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया था, तो इसे इस समर्थन के साथ लौटा दिया गया था कि धन अपर्याप्त था। शिकायतकर्ता ने अपीलकर्ता को एक नोटिस जारी किया, चेक के तहत देय राशि का भुगतान करने में अपीलकर्ता की विफलता पर, एक शिकायत दर्ज की गई। अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। इसलिए, वर्तमान आपराधिक अपील।

अपील का निपटारा करते हुए, अदालत ने कहा:

1. हाईकोर्ट के फैसले पर दो आधारों पर सवाल उठाया गया है. अपीलकर्ता का कहना है कि सबसे पहले, कंपनी को आरोपी के रूप में नामित किए बिना अपीलकर्ता पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। चेक कंपनी द्वारा जारी किया गया था और अपीलकर्ता द्वारा इसके निदेशक के रूप में हस्ताक्षरित किया गया था। दूसरे, यह आग्रह किया गया था कि उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कि कंपनी के खिलाफ अब शिकायत में कार्रवाई की जा सकती है, गलत है। अपीलकर्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि धारा 138 के तहत अपराध केवल मांग की नोटिस जारी करने और निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान की विफलता पर पूरा होता है। धारा 138 की आवश्यकताओं के अनुपालन के अभाव में, यह दावा किया जाता है कि उच्च न्यायालय का निर्देश कि कंपनी को इस स्तर पर आरोपित/अभियोग बनाया जा सकता है, गलत है। [पैरा 7] [996-सी-डी|

2. अपीलकर्ता की ओर से पहली दलील अब स्वीकार्य नहीं है। अनीता हाडा बनाम गॉडफादर ट्रैवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय विवाद के क्षेत्र को नियंत्रित करता है। विचार के लिए आने वाला मुद्दा यह था कि क्या किसी कंपनी का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता कंपनी को आरोपी बनाए बिना परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि सख्त निर्माण के सिद्धांत को लागू करते हुए, सुविचारित राय यह थी कि कंपनी द्वारा अपराध करना दूसरों की परोक्ष देयता को आकर्षित करने के लिए एक स्पष्ट शर्त है। इस प्रकार, धारा में दिखाई देने वाले शब्द "साथ ही कंपनी" यह पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं कि जब कंपनी पर मुकदमा चलाया जा सकता है, तो केवल अन्य श्रेणियों में उल्लिखित व्यक्ति ही याचिका और उसके सबूत में बताए गए अपराधों के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी हो सकते हैं। कोई भी इस तथ्य से अनजान नहीं हो सकता है कि कंपनी एक न्यायिक व्यक्ति है और इसकी अपनी सम्मान क्षमता है। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि अधिनियम की धारा 141 के तहत अभियोजन को बनाए रखने के लिए, एक कंपनी को आरोपी के रूप में आरोपित करना अनिवार्य है। [पैरा 8] [996-ई-एच; 997-ए-बी]

अनीता हाडा बनाम गॉडफादर ट्रैवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड (2012) 5 एससीसी 661: [2012] 5 एससीआर 503 पर भरोसा किया गया।

3. दूसरी दलील में दम है जिसे अपीलकर्ता की ओर से भी आग्रह किया गया है। धारा 138 के परंतुक में पूर्व-शर्तें शामिल हैं जिन्हें प्रावधान के तहत अपराध करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए। ये शर्तें हैं; (i) चेक को बैंक में प्रस्तुत करना उस तारीख से छह महीने के भीतर जिस तारीख को इसे तैयार किया गया था या इसकी वैधता की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो; (ii) चेक की वापसी की बैंक से सूचना प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर चेक के दराज को लिखित में नोटिस जारी करके आदाता या धारक द्वारा नियत समय में लिखित में की जा रही मांग; और (iii) नोटिस प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर आदाता या धारक को नियत समय में धन की राशि का भुगतान करने में ड्रॉअर की विफलता। [पैरा 9] [997-डी-ई]

चरणजीत पाल जिंदल बनाम एलएन मेटालिक्स (2015) 5 स्केल 16; एमएसआर लेदर्स बनाम एस पलानीअप्पन (2013) 1 एससीसी 177: [2012] 9 एससीआर 165 - संदर्भित।

4. वर्तमान मामले में, न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड इंगित करता है कि चेक अपीलकर्ता द्वारा 'एल' लिमिटेड कंपनी के निदेशक के रूप में तैयार किया गया था। मांग का नोटिस केवल अपीलकर्ता को दिया गया

था। शिकायत केवल अपीलकर्ता के खिलाफ दर्ज की गई थी, कंपनी को आरोपी के रूप में आरोपित किए बिना। [पैरा 12] [998-जी]

5. धारा 141 के प्रावधानों में कहा गया है कि यदि धारा 138 के तहत अपराध करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय कंपनी के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था या उसके लिए जिम्मेदार था, अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और दंडित किया जाएगा। [पैरा 13] [998-जी-एच; 999-ए] सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2019] 1 एस.सी.आर.

6. कंपनी को आरोपी बनाए जाने की अनुपस्थिति में, अपीलकर्ता के खिलाफ शिकायत सुनवाई योग्य नहीं थी। अपीलकर्ता ने कंपनी के निदेशक के रूप में और उसकी ओर से चेक पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा, कंपनी को मांग का नोटिस दिए जाने के अभाव में और धारा 138 के परंतुक के अनुपालन के बिना, उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की कि कंपनी को अब आरोपी के रूप में आरोपित किया जा सकता है। [पैरा 14] [999-बी]

एन हरिहर कृष्णन बनाम जे थॉमस (2018) 13 एससीसी 663: [2017] 9 एससीआर 324 - संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

[2012] 5 एससीआर 503 पैरा 8 पर निर्भर था।

(2015) 5 स्केल 16 पैरा 9 को संदर्भित करता है।

[2012] 9 एससीआर 165 पैरा 10 को संदर्भित करता है।

[2017] 9 एससीआर 324 पैरा 11 को संदर्भित करता है।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2009 की आपराधिक अपील संख्या 1465

2005 की आपराधिक याचिका संख्या 4467 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांक 24.01.2006 के निर्णय और आदेश से।

रोहन थवानी, प्रशांत कुमार, धवेश पाहुजा, जोसेफ पुक्कट, अपीलकर्ता के वकील।

वी.एन. रघुपति, परीक्षित पी. अंगड़ी, मोहम्मद अप्जल अंसारी, प्रतिवादियों के वकील।

कोर्ट का फैसला न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने सुनाया।

1. प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, अपीलकर्ता ने "अपने व्यवसाय के विकास के लिए" 4,15,000 रुपये की राशि उधार ली थी और उसी दिन, अपीलकर्ता ने कर्नाटक बैंक, होसदुर्ग को इतनी ही राशि के लिए एक चेक जारी किया। जब चेक 26 दिसंबर 2003 को स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, बेलिगेरे शाखा को नकदीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया था, तो बैंक ने 29 दिसंबर 2003 को यह कहते हुए एक अनुमोदन के साथ चेक वापस कर दिया कि धन अपर्याप्त था। शिकायतकर्ता ने अपीलकर्ता को 19 जनवरी 2004 को एक नोटिस जारी किया जो 28 जनवरी 2004 को दिया गया था।

2. चेक के तहत देय राशि का भुगतान करने में अपीलकर्ता की विफलता पर, एक शिकायत दर्ज की गई थी।

3. सिविल जज, जूनियर डिवीजन, तिसूर ने 6 जुलाई 2004 को संज्ञान लिया और अपीलकर्ता को समन जारी किया।

4. अपीलकर्ता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ("सीआरपीसी") की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की। याचिका के पैराग्राफ 6 में कहा गया है कि किस आधार पर उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू किया गया था।

6. चेक मेसर्स लक्ष्मी सीमेंट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशकों में से एक द्वारा जारी किया गया था, यानी उक्त कंपनी की ओर से। उक्त कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी और उक्त तथ्य को प्रदर्शित करने के लिए, आरोपी कंपनी के निगमन के प्रमाणीकरण के साथ कंपनी के ज्ञापन और एसोसिएशन के लेखों की प्रतियां पेश करता है और जिन्हें क्रमशः अनुलग्नक सी 1, सी 2 और सी 3 के रूप में चिह्नित किया जाता है।

पैराग्राफ 7 में, अपीलकर्ता ने इस प्रकार कहा: –

"को,

शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ संज्ञान लेने के अनुरोध के साथ मजिस्ट्रेट से संपर्क किया और कहा कि आरोपी ने 23.12.2003 को उसके पक्ष में एक चेक जारी किया था और उक्त चेक 26.12.2003 को बाउंस हो गया था, दिनांक 23.12.2005 के चेक को सावधानीपूर्वक देखने पर यह पता चलता है कि चेक कंपनी के निदेशकों में से एक द्वारा जारी किया गया था और यह किसी भी व्यक्ति द्वारा उसकी व्यक्तिगत क्षमता में जारी किया गया चेक नहीं था। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो शिकायत कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ होनी चाहिए न कि आरोपी के खिलाफ।

5. अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि चेक लक्ष्मी सीमेंट एंड सिरेमिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के निदेशक द्वारा जारी किया गया था। दूसरे शब्दों में, चेक हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में जारी नहीं किया गया था। इसलिए, यह आग्रह किया गया था कि शिकायत कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ दर्ज की जानी चाहिए थी, न कि अपीलकर्ता के खिलाफ।

6. उच्च न्यायालय ने 24 जनवरी 2006 के अपने आदेश से याचिका को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की ओर से दी गई दलीलों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि शिकायतकर्ता ने कंपनी के अस्तित्व के बारे में अनभिज्ञता जताई थी। इसके अलावा, उच्च न्यायालय के विचार में, शिकायतकर्ता के लिए कंपनी के साथ-साथ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कदम उठाना मुश्किल नहीं होगा जो कंपनी के मामलों के लिए जिम्मेदार हैं।

7. हाईकोर्ट के फैसले पर दो आधारों पर सवाल उठाया गया है. अपीलकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि सबसे पहले, अपीलकर्ता पर कंपनी को आरोपी के रूप में नामित किए बिना मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। चेक कंपनी द्वारा जारी किया गया था और अपीलकर्ता द्वारा इसके निदेशक के रूप में हस्ताक्षरित किया गया था। दूसरे, यह आग्रह किया गया था कि उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कि कंपनी के खिलाफ अब शिकायत में कार्रवाई की जा सकती है, गलत है। वकील ने प्रस्तुत किया कि धारा 138 के तहत अपराध

केवल मांग का नोटिस जारी करने और निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान की विफलता पर पूरा होता है। धारा 138 की आवश्यकताओं के अनुपालन के अभाव में, यह दावा किया जाता है कि उच्च न्यायालय का निर्देश कि कंपनी को इस स्तर पर आरोपित/अभियोग बनाया जा सकता है, गलत है।

8. अपीलकर्ता की ओर से पहली दलील अब पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। अनीता हाडा बनाम गॉडफादर ट्रैवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ का एक निर्णय विवाद के क्षेत्र को नियंत्रित करता है। विचार के लिए आने वाला मुद्दा यह था कि क्या किसी कंपनी का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता कंपनी को आरोपी बनाए बिना परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार कहा: –

> "58. सख्त निर्माण के सिद्धांत को लागू करते हुए, हमारा विचार है कि कंपनी द्वारा अपराध करना दूसरों की परोक्ष देयता को आकर्षित करने के लिए एक स्पष्ट शर्त मिसाल है। इस प्रकार, धारा में दिखाई देने वाले शब्द "साथ ही कंपनी" यह पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं कि जब कंपनी पर मुकदमा चलाया जा सकता है, तो केवल अन्य श्रेणियों में उल्लिखित व्यक्ति ही याचिका और उसके सबूत में बताए गए अपराधों के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी हो सकते हैं। कोई भी इस तथ्य से अनजान नहीं हो सकता है कि कंपनी एक न्यायिक व्यक्ति है और इसकी अपनी सम्मान क्षमता है। यदि इसके खिलाफ कोई निष्कर्ष दर्ज किया जाता है, तो यह इसकी प्रतिष्ठा में एक दरार पैदा करेगा। ऐसा तब हो सकता है जब किसी निदेशक को दोषी ठहराए जाने पर कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा प्रभावित होती है।

इसी तरह, अदालत ने आगे कहा:

> "हमारे उपरोक्त विश्लेषण के मद्देनजर, हम इस अकाट्य निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अधिनियम की धारा 141 के तहत अभियोजन को बनाए रखने के लिए, एक कंपनी को आरोपी के रूप में आरोपित करना अनिवार्य है। अपराधियों की अन्य श्रेणियों को केवल परोक्ष दायित्व की कसौटी पर खींच-जाल में लाया जा सकता है क्योंकि इसे प्रावधान में ही निर्धारित किया गया है... "

9. चरणजीत पाल जिंदल बनाम एलएन मेटालिक्स मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के बाद इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया। दूसरी दलील में दम है जिसका आग्रह अपीलकर्ता की ओर से भी किया गया है। धारा 138 के परंतुक में पूर्व-शर्तें शामिल हैं जिन्हें प्रावधान के तहत अपराध करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए। ये शर्तें हैं; (i) चेक को बैंक में प्रस्तुत करना उस तारीख से छह महीने के भीतर जिस तारीख को इसे तैयार किया गया था या इसकी वैधता की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो; (ii) चेक की वापसी की बैंक से सूचना प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर चेक के दराज को लिखित में नोटिस जारी करके आदाता या धारक द्वारा नियत समय में लिखित में की जा रही मांग; और (iii) नोटिस प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर आदाता या धारक को नियत समय में धन की राशि का भुगतान करने में ड्रॉअर की विफलता।

10. एमएसआर लेदर्स बनाम एस पलानीअप्पन मामले में इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:-

> "12. धारा 138 का परंतुक, हालांकि, सभी महत्वपूर्ण है और तीन अलग-अलग शर्तों को निर्धारित करता है, जिसे चेक के अनादरण से पहले एक अपराध का रूप लेने और दंडनीय बनने से पहले संतुष्ट किया जाना चाहिए। पहली शर्त यह है कि चेक को बैंक को उस तारीख से छह महीने की अवधि के

भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिस तारीख को इसे तैयार किया गया था या इसकी वैधता की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो। दूसरी शर्त यह है कि आदाता या धारक को चेक की वापसी के बारे में बैंक से सूचना प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर चेक के दराज को लिखित में नोटिस देकर उक्त धनराशि के भुगतान की मांग करनी होगी। तीसरी शर्त यह है कि ऐसे चेक का आहरणकर्ता उक्त नोटिस प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर चेक के नियत समय में आदाता को या जैसा भी मामला हो, उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहा हो। यह केवल ऊपर उल्लिखित सभी तीन शर्तों की संतुष्टि पर है और धारा 138 के परंतुक के तहत खंड (ए), (बी) और (सी) के तहत गणना की गई है कि धारा 138 के तहत अपराध चेक जारी करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया है।

11. एन हरिहर कृष्णन बनाम जे थॉमस मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के हाल के फैसले में इन शर्तों को पूरा करने के महत्व का उल्लेख किया गया है। धारा 138 के अवयवों का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

"26. .... जाहिर है कि ऐसी शिकायतों में धारा 138 के तहत अपराध के प्रत्येक घटक का गठन करने वाले तथ्यात्मक आरोप शामिल होने चाहिए। वे तत्व हैं: (1) कि एक व्यक्ति ने बैंकर के साथ अपने द्वारा बनाए गए खाते पर एक चेक खींचा; (2) ऐसा चेक जब बैंक को प्रस्तुत किया जाता है तो बैंक द्वारा अवैतनिक लौटा दिया जाता है; (3) ऐसा चेक निकाले जाने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर या इसकी वैधता की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, बैंक को प्रस्तुत किया गया था; (4) कि आदाता ने चेक के दराज से भुगतानकर्ता को चेक के तहत देय राशि के भुगतान की लिखित मांग की; और (5) भुगतान की ऐसी सूचना बैंक से आदाता द्वारा अवैतनिक के रूप में चेक की वापसी के बारे में सूचना प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर की जाती है।

12. वर्तमान मामले में, न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड इंगित करता है कि चेक अपीलकर्ता द्वारा लक्ष्मी सीमेंट एंड सिरेमिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक के रूप में तैयार किया गया था। मांग का नोटिस केवल अपीलकर्ता को दिया गया था। शिकायत केवल अपीलकर्ता के खिलाफ दर्ज की गई थी, कंपनी को आरोपी के रूप में आरोपित किए बिना।

13. धारा 141 के प्रावधानों में कहा गया है कि यदि धारा 138 के तहत अपराध करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय कंपनी के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था या उसके लिए जिम्मेदार था, अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और दंडित किया जाएगा।

14. कंपनी को आरोपी के रूप में आरोपित किए जाने की अनुपस्थिति में, अपीलकर्ता के खिलाफ शिकायत सुनवाई योग्य नहीं थी। अपीलकर्ता ने कंपनी के निदेशक के रूप में और उसकी ओर से चेक पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा, कंपनी को मांग का नोटिस दिए जाने के अभाव में और धारा 138 के परंतुक के अनुपालन के बिना, उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की कि कंपनी को अब आरोपी के रूप में आरोपित किया जा सकता है।

15. तदनुसार, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका को खारिज करने में गलती की थी।

16. इसलिए हम अपील की अनुमति देते हैं और उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हैं। नतीजतन, सीआरपी संख्या 27/2004 होने के नाते शिकायत को रद्द कर दिया जाएगा।

17. इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, इस न्यायालय ने 28 नवंबर 2008 को अपीलकर्ता का बयान दर्ज किया कि वह पूरा चेक जमा करने के लिए तैयार था, और इसलिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

> पीठ ने कहा, "याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता पूरी चेक राशि जमा करने को तैयार है जिसका इस न्यायालय में अनादरण किया गया था।

आज से चार सप्ताह के भीतर इस न्यायालय में राशि जमा की जाए और उपरोक्त अवधि के भीतर राशि जमा करने पर, रजिस्ट्री प्रतिवादी को नया नोटिस जारी करे क्योंकि प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व आज तक नहीं किया गया है। इस तरह जमा की गई राशि को शुरू में छह महीने की अवधि के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा में निवेश किया जाएगा और अगले आदेश तक समय-समय पर नवीनीकृत किया जा सकता है।

18. उपर्युक्त निर्देशों के अनुसरण में, अपीलकर्ता ने 23 फरवरी 2009 को 4,15,000/- रुपये की राशि जमा की। यह राशि सावधि जमा में निवेश की गई है जिसे समय-समय पर नवीनीकृत किया गया है।

19. हमारे विचार में, इस न्यायालय द्वारा 28 नवंबर 2008 को पारित आदेश के इरादे को ध्यान में रखते हुए, यह उचित और उचित होगा कि इस न्यायालय में जमा की गई राशि, अर्जित ब्याज के साथ, प्रतिवादी-शिकायतकर्ता को भुगतान की जाए।

20. रजिस्ट्री, तदनुसार, प्रतिवादी को वर्तमान आदेश की एक प्रति सूचित करते हुए एक संचार जारी करेगी (क्योंकि प्रतिवादी नोटिस की सेवा के बावजूद उपस्थित नहीं हुआ है)। पहचान के प्रमाण के खिलाफ प्रतिवादी को राशि वितरित की जाएगी।

21. तदनुसार, आपराधिक अपील का निपटान किया जाता है, लंबित आवेदनों का निपटान किया जाता है, यदि कोई हो, तो उसका भी निपटान किया जाएगा।

अपील निस्तारित।

इला देओल, एडवोकेट